न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद ताहीर R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
59/दावा/2019	3.06.2019	02.08.2019

श्रीनारायण श्रृंगी पुत्र नाथू लाल श्रृंगी जाति ब्राहमण सखववाल निवासी ग्राम डगलावदा तहसील जिला बून्दी (राज0)

.....वादीगण

बनाम

1. ब्रहमानंद आ0 बच्छराज जाति ब्राहमण सखवाल निवासी ग्राम डगलावदा तहसील तहसील तालेडा
2. महानंद आ0 बच्छराज जाति ब्राहमण सखवाल निवासी ग्राम डगलावदा तहसील तहसील तालेडा
3. कृष्णानंद आ0 रामशंकर जाति ब्राहमण सखवाल निवासी ग्राम डगलावदा तहसील तहसील तालेडा
4. श्रीमति कांता बाई पत्नी रामस्वरूप जाति ब्राहमण पुत्री बच्छराज जाति ब्राहमण सखवाल निवासी रडी तह0 के0पाटन जिला बून्दी
5. श्रीमति कल्याणी पत्नी परमानन्द पुत्री श्री बच्छराज जाति ब्राहमण निवासी ग्राम अडीला तह0 के0पाटन जिला बून्दी (राज0)
6. श्रीमति गौरी देवी पुत्री बच्छराज पत्नी रामनिवास जाति ब्राहमण सखवाल निवासी तालेडा जिला बून्दी
7. श्रीमति काली बाई उर्फ राकेश देवी पत्नी रामरतन पुत्री बच्छराज जाति ब्राहमण सखवाल निवासी तालेडा

7(अ) कमला पत्नी हरिमोहन श्रृंगी जाति ब्राहमण निवासी ग्राम अडीला तहसील के0पाटन

8. राजस्थान सरकार जर्य तहसीलदार साहब तालेडा जिला बून्दी (राज0)

...प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीः– श्री सोहन लाल जैन
अधिवक्ता प्रतिवादीः– श्री भागचन्द मालव

– : : निर्णय : : –

वाद अन्तर्गत धारा– 88,89 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

संक्षेप में वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किया है किः–

1. यह कि वादी के स्वामित्व, आधिपत्य व खातेदार की कृषि भूमि ख0सं0 19 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा, ख0सं0 64 रकबा 04 बिस्वा, ख0सं0 66 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, ख0सं0 67 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, ख0सं0 608 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, ख0सं0 627 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा कुल किता–6 रकबा 31 बीघा 21 बिस्वा वाके ग्राम डगलावदा पटवार हल्का बाजड तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है।
2. उक्त भूमि में से ख0सं0 66 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा तथा ख0सं0 67 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा श्री सदाशंकर, रामशंकर व बच्छराज पिसरा लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी डगलावदा के यहा रहन बिल कब्जा थी। इनमें से सदाशंकर लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है और रामशंकर के पुत्र कृष्णानन्द को प्रतिवादी सं0 3 बनाया गया है। चूंकि रामशंकर की मृत्यु हो चुकी है। बच्छराज की भी मृत्यु हो चुकी है और प्रतिवादीगण सं0 1,2,4 लगा0 7 बच्छराज के उत्तराधिकारी होने से प्रतिवादी बनाया गया है।
3. जमाबन्दी सं0 2058 से 2061 में वादी के स्वामित्व, आधिपत्य व खातेदारी अधिकार की चरण सं0 1 में वर्णित उक्त कृषि भूमि पर सहवन से समस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के पूर्वजों का नाम मु.बि.क. दर्ज कर दिया जिसे हटवाने का वादी को अधिकार है।
4. यह कि वादी ने कृषि भूखण्डो की प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 की रहन राशी अदा कर दी और समस्त भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया है किन्तु राजस्व भू0 आलेखो में रहनग्रहिता का नाम दर्ज होने से वादी

उप खण्ड अधिकारी तालेड़ा

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

अधिकारों पर विपरित प्रभाव पडने की संभावना है। प्रतिवादीगण ने भी रहनमुक्ति को स्वीकार कर लिया है।

वादी को अधिकार है वह राजस्व भू–आलेखो में से रहनग्रहिता प्रतिवादीगण का नाम हटवाएं। यही वाद कारण है और यह वाद प्रस्तुत करना पडा है।

6. वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया है कि वे राजस्व भू–आलेखों से मुर्तहिन बिल कब्ज का इन्द्राज हटा ले लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए वाद कारण दिनांक 7.5.2019 को उत्पन्न हुआ इसलिए वाद अवधि में पेश है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री प्रदान फरमायी जावे।

(अ) राजस्व भू–अभिलेखों में चला आ रहा वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित वादी के स्वामित्व, आधिपत्य व खातेदारी अधिकार की भूमियों में इन्द्राज रहन सदाशंकर, रामशंकर, बच्छराज पिसरान लक्ष्मीनारायण कोम ब्राहमण सखवाल साकिन देह मु.बि.क. हटाया जावे।

(ब) तहसीलदार साहब, तालेडा को निर्देश प्रदान किया जावे कि वे राजस्व भू–आलेखों से रहन मु. बि.क. का इन्द्राज हटावे।

(स) वाद व्यय व अन्य न्यायोचित सहायता जो श्रीमान उचित समझे प्रदान करें।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 की और से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र कीचरण सं0 1 रिकार्ड से सम्बन्धित है जो स्वीकार है। च0सं0 2 अस्वीकार है। च0सं0 3 में कृषि भूमि ख0सं0 66 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा तथा ख0सं0 67 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा रहन थी किन्तु भू प्रबन्ध विभाग ने जमाबन्दी संवत् 2058–61 बनाते समय सहवन से समस्त खाते की भूमि पर मु.बि.क. का इन्द्राज कर दिया है। वादी ने उक्त भूमि की समस्त कीमत प्रतिवादी 1 लगा0 7 व 7 (अ) को अदा करके उक्त भूमि रहन से मुक्त करा ली है और कब्जा भी समस्त भूमि का वादी को संभला दिया है। च0सं0 4 व 5 स्वीकार है। च0सं0 6 इस प्रकार स्वीकार है कि वादी नियमानुसार रहन का इन्द्राज राजस्व न्यायालय के मार्फत हटा ले तो प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 व 7 (अ) को कोई आपत्ति नहीं है। च0सं0 7 कानूनी एवं तकमीली है। च0सं0 8 कानूनी है। प्रार्थना वादी स्वीकार है और वाद पत्र कीचरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि भूखण्डो से प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 7, 7(अ) के पूर्वजो सदाशंकर, रामशंकर, बच्छराज पिससरान लक्ष्मीनारायण कौम ब्राहमण (सखवाल) साकिन देह मु0बि0क0 का इन्द्राज राजस्व भू–आलेखों मे से हटाकर वादीगण के पक्ष में वाद को डिक्री किये जाने में प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 7, 7(अ) को कोई आपत्ति नहीं है। राजस्व भू–आलेखों में से रहन मु.बि.क. का इन्द्राज विलोपित कर दिया जावे।

साक्ष्य में वादी की और से नकल जमाबन्दी खाता सं0 247 ग्राम डगलावदा संवत् 2074–77 प्रदर्श–1, खसरा बन्दोबस्त भूप्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग ग्राम डगलावदा प्रदर्श–2, 3, नकल जमाबन्दी खाता सं0 165 ग्राम डगलावदा संवत् 2054–57 प्रदर्श–4, जमाबन्दी खाता सं0 189 ग्राम डगलावदा संवत् 2058–61 प्रदर्श–5, जमाबन्दी खाता सं0 197 ग्राम डगलावदा संवत् 2062–65 प्रदर्श–6, स्वयं वादी का शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1 की प्रतियॉ पेश की।

बहस उभयपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी खाता सं0 247 ग्राम डगलावदा संवत् 2074–77 प्रदर्श–1 में श्रीनारायण वल्द नाथू लाल कौम ब्राहमण सखवाल सा0देह0, खाते रहन सदाशंकर, रामशंकर, बच्छराज पि0 लक्ष्मीनारायण कौम ब्राहमण सुखवाल सा0देह0 मु0बि0क0 दर्ज रिकार्ड है। वाद पत्र की चरण सं0 2 में श्री सदाशंकर, रामशंकर व बच्छराज पिस0 लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी डगलावदा के रहन बिल कब्जा थीं। सदाशंकर लाऔलाद मृत्यु हो चुका है और रामशंकर के पुत्र कृष्णानन्द को प्रतिवादी सं0 3 बनाया गया है। चूंकि रामशंकर की मृत्यु हो चुकी है। बच्छराज की भी मृत्यु हो चुकी है और प्रतिवादीगण सं0 1,2,4 लगा0 7, 7 (अ) बच्छराज के उत्तराधिकारी होने से प्रतिवादी बनाया जाना अंकित है। जिसको प्रतिवादीगण द्वारा भी अपने जवाब दावे में स्वीकार किया है। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार जमाबन्दी में दर्ज मु0बि0क0 के नोट को दुरूस्त करने की प्रार्थना वादी के द्वारा चाही गई है इस संबंध प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे की च0सं0 3 में अंकित किया है कि कृषि भूमि ख0सं0 66 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा तथा ख0सं0 67

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned by CamScanner

बीघा 3 बीघा 4 बिस्वा रहन थी किन्तु भू.प्रबन्ध विभाग ने जमाबन्दी संवत् 2058–61 बनाते समय रहन से समस्त खाते की भूमि पर मु.बि.क. का इन्द्राज कर दिया है। वादी ने उक्त भूमि की समस्त कीमत प्रतिवादी 1 लगा0 7 व 7 (अ) को अदा करके उक्त भूमि रहन से मुक्त करा ली है और कब्जा भी समस्त भूमि का वादी को संभला दिया है। वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष मु0बिक0 के इन्द्राज को हटवाने का अधिकारी है क्योंकि 1975 के अध्यादेश के द्वारा दिनांक 19.10.1955 (अधिनियम के लागू होने की दिनांक) के बाद किये गये सभी भोग बंधक दिनांक 06.09.1975 से उन्मोचित हो गये है ऐसी स्थिति में वादी भी उक्त मु0बि0क0 के नोट को हटाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि नकल जमाबन्दी खाता सं0 247 ग्राम डगलावदा संवत् 2074–77 प्रदर्श–1 में सदाशंकर, रामशंकर, बच्छराज पि0 लक्ष्मीनारायण कौम ब्राहमण सुखवाल सा0देह0 मु0बि0क0 दर्ज रिकार्ड के नोट को विलोपित किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावें। बैंक का यदि कोई रहन हो तो यथावत रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 02.08.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

उप खण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned by CamScanner